

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,

ग्राम पंचायत .....,

पंचायत समिति भादरा।

विषय :- आबादी भूमि में भुखण्ड का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत.....के ग्राम ..... के वार्ड नं० ..... तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज० में लगभग 50 वर्षों से मैं और मेरा परिवार आवास बनाकर निवास कर रहे हैं। जिस पर मेरा पुश्तैनी कब्जा है जिसका मैं या मेरे परिवार के किसी सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आज दिनांक ..... तक पट्टा जारी नहीं करवाया गया है। अब मैं अपने आवासीय भुखण्ड का पट्टा जारी करवाना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे आवासीय भुखण्ड का नियमानुसार विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने की कृपा करें।

संलग्न :-

1. प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड।
2. प्रार्थी की 4“6 की रंगीन फोटो मकान के साथ।
3. 50/- रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।
4. 1980 और वर्तमान की मतदाता सूची की प्रमाणित फोटो प्रति।
5. बिजली कनेक्शन का पुराना बिल।
6. भुखण्ड का मौका नक्शा मय वार्ड पंच रिपोर्ट।
7. दो पडौसी गवाहों की एक एक फोटो व उनका आधार कार्ड, उम्र 50 से उपर होनी चाहिए।
8. दो परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड।

ह०/अंगूठा निशान प्रार्थी

नाम :- .....

पिता/पति का नाम :-.....

जाति.....निवासी.....

पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान।



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

सरवर्क मिसल ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
 दायर संख्या.....सौगाह.....  
 दिनांक दायर.....  
 दिनांक फैसल.....

### अनवान

फैसला :-सरपंच, .....  
 ग्राम पंचायत.....  
 पंचायत समिति.....  
 इल्लत/दावा इजराय.....

### सूची कागजात

क्र०सं०	कागजातकाब्यौरा	किता	योग	हस्ताक्षर कागजात लेने वाले
1	सरवर्क	1	1	
2	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय संलग्न आवश्यक दस्तावेज	1 एवं मय दस्तावेज	2	
3	आज्ञाओं की सूची	3	5	
4	निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण	3	8	
5	आपत्ति आमन्त्रित नोटिस (उजरदारी पत्र )	1	9	
6	अनापत्ति प्रमाण पत्र	2 एवं भाईयों के अनुसार	11	
7	फैसलाफार्म	2	13	
8	पुराने गृहों का विनियमितिकरण पट्टा प्रतिलिपि	1	14	

पुराने गृहों का विनियमितिकरण ( पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र )

सेवामें,

श्रीमान् सरपंचमहोदय,

ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति.....

विषय :-पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी कराने बाबत

प्रार्थी का नाम.....पिता/पति का नाम.....

जाति.....निवासी.....

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी का मकान निम्नलिखित सीमाविस्तार में स्थित है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	

यह है कि मुझ प्रार्थी का पैतृक मकान का आज दिनांक..... से पूर्व मैंने या मेरे पूर्वजों ने या मेरे भाईयों के द्वारा किसी संस्था या रियासत राजपुताना से पट्टा प्राप्त नहीं किया है।

यह है कि मुझ प्रार्थी के इस पैतृक मकान या गैर सरकारी संस्था अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक या सेट साहुकार से ऋण प्राप्त कर बतौर रहन नहीं रखा है एवं नहीं किसी को बैचान किया है।

यह है कि मेरे इस पैतृक मकान को लेकर या इसकी चतुर्थ सीमा को लेकर किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं है। एवं नहीं कोई वाद लम्बित है।

यह है कि मेरा पैतृक मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित है। जिसका आराजी खसरा नम्बर... रकबा.....आबादी रिकार्ड दर्ज है। मुझ प्रार्थी का पैतृक विरासत में प्राप्त मकान पूर्ण रूप से शुद्ध होकर हर प्रकार के भार व ऋण से मुक्त है। मुझ प्रार्थी का एकल रूप से स्वत्व एवं स्वामित्व है। जिसका मैं पुराने गृहों के विनियमितिकरण नियम के तहत पट्टा बनवाना चाहता हूँ।

अतः मुझ प्रार्थी को नियमानुसार पट्टा जारी करवाने की कृपा करावे। मैं पंचायत की नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने को सहमत हूँ।

सरपंच

हस्ताक्षरप्रार्थी

## भुखण्ड की रंगीन 4×6 की फोटो यहां चस्पा करे

नाम :- श्री/श्रीमती.....

पिता/पति का नाम :- ..... जाति.....

निवासी वार्ड संख्या.....ग्राम.....ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

भुखण्ड की रंगीन 4×6 की फोटो यहां चस्पा करे

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी आवेदक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फोटों प्रार्थी के भुखण्ड की हैं जिसकी मौके पर मेरे द्वारा जांच कर ली गई है।

हस्ताक्षर वार्ड पंच

नाम.....वार्ड संख्या.....



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

पुराने गृहों का विनियमितिकरण ( पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र ) के साथ लगने वाली चेक लिस्ट

1. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
2. स्वयं की आई0डी0 प्रुफफोटोप्रति प्रमाणित यथा आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट इत्यादि
3. परिवार राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति
4. स्वयं के पासपोर्ट साईज चार रंगीन फोटो
5. पुराने नल अथवा बिजली के बिल की प्रमाणित प्रति
6. गृह की वर्तमान् स्थिति को दर्शाते हुए तीन त्रिविमिय रंगीन फोटोग्राफ साइज 4" x 6"
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र माता-पिता, भाईयों, पडोसियों का
8. यदि बाप दादा स प्राप्त मकान हो तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय प्रमाणित सजरा
9. मकान का ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा
10. 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों के बयान फार्म मय फोटो एवं आई0डी0प्रुफ फोटो प्रति
11. पुराने गृहों का विनियमितिकरण के संबंध में तीन पंचों का निरीक्षण प्रपत्र
12. प्रार्थी का स्वघोषणा शपथ पत्र व 65 वर्ष से अधिक उम्र के दो व्यक्तियों गवाह के रूप में हस्ताक्षर शुदा। नोटेरी प्रमाणित किया हों।
13. आपत्तियों को मांगने का प्रपत्र जिस पर अंकित हो कि उसकों कहां चस्प्या किया गया है तथा प्रमाण स्वरूप मोतवीर पडोसियों के हस्ताक्षर शुदा हो।

नोट :- 1. खरीदे गये मकान का बापी पट्टा नहीं बनाया जावेगा ।

2. यदि मकान चरनोट/बिलानाम भूमि पर बना हो तो पट्टा नहीं बनाया जावेगा।

3. बाडे का पट्टा डी0एल0सी0 दर पर ही बनाया जावेगा।

4. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के बापी पट्टे जारी नहीं किये जावेगें।

5. कृषि भूमि से परिवर्तित आबादी भूमि पर बने मकानों का बापी पट्टा जारी नहीं होगा।

6. देवस्थान की भूमि के मकान या देवस्थान का पट्टा नहीं बनाया जावेगा।



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों का विनियमितकरण हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र

पट्टा कार्यवाही के राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 146 स्थल निरीक्षण – पुराने गृहों का विनियमितकरण हेतु पट्टे संबंधित पंचों ( सदस्यों ) की रिपोर्ट

पट्टा मिसल संख्या.....वर्ष.....

आज दिनांक.....को हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता (मनोनीत सदस्य )

1. वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....
2. वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....
3. वार्ड पंच श्री / श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....

प्रार्थी का नाम.....पिता / पति का नाम.....

जाति.....निवासी.....

ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राज0 के आवेदन

पत्र बाबत पुराने गृह का विनियमितकरण का पेश होने पर देखा गया जो निम्न प्रकार से है:-

भूमि / स्थान वाके.....ग्राम .....में स्थित है।

1.क्या आवेदित आवेदित पुराने गृह का विनियमितकरण ग्रामीणों द्वारा आने-जाने के लिए उपर्युक्त सुविधाओं को प्रभावित करेगा ?	
2.क्या आवेदित पुराने गृह का विनियमितकरण अन्य ग्रामीणों के सुखाचार संबंधी अधिकारों को प्रभावित करेगा ?	
3.क्या आवेदित पुराने गृह का विनियमितकरण परिक्षेत्रकी सुन्दरता / सफाई को प्रभावित करेगा ?	
4.क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व विवादग्रस्त है ?	
5.क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व के संबंध में माननीय न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है ?	
6.क्या इस पुराने गृह का स्वामित्व (कब्जा) प्रार्थी का	

है ?	
<p>7. यह पुराने गृह का विनियमितिकरण</p> <p>(अ) रेल्वे लाईन से 100 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(ब) राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 150 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(स) राज्य राजमार्ग की मध्य रेखा से 75 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p> <p>(द) अन्य जिला सडकों एवं गांवों की सडकों की मध्य रेखा से 50 फीट से अधिक/कम दूरी पर है ?</p>	

इस गृह के चतुर्दिशा में स्थित पडौसियों का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	

खसरा नम्बर.....किस्म आबादी भूमि में स्थित है।

मूल्यांकन एवं विनियमितिकरण से संबंध में रिपोर्ट

1. इस पुराने गृह पर प्रार्थी का हक बदस्तुर है।
2. अतः इस गृह का विनियमितिकरण राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत कर दिया जावे। इति


वार्ड पंच का नाम	हस्ताक्षर
1. वार्ड पंच श्री/श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	
2. वार्ड पंच श्री/श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	
3. वार्ड पंच श्री/श्रीमती.....वार्ड संख्या.....ग्राम पंचायत.....	



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों का विनियमितिकरण हेतु नजरी नक्शा आबादी भूमि पट्टा मिसल संख्या..... वर्ष.....

दिनांक.....को इस्तगासी(प्रार्थी) श्री/श्रीमती.....पिता/पति  
जाति.....निवासी.....  
ग्राम .....तहसील.....जिला.....राजस्थान का पुराना आवासीय पैतृक मकान जो कि ग्राम पंचायत.....के ग्राम.....मौहल्ला.....  
.....वार्ड संख्या..... में स्थित है, का आवासीय पैतृक मकान का पट्टा चाहने हेतु प्राप्त आवेदन को सरपंच महोदय की आज्ञा से कोरम की बैठक दिनांक.....में रखा गया। कोरम के निर्णय के अनुसार आज दिनांक.....को मौके पर मौका पर्चा रिपोर्ट मुर्तिब करने हेतु मौके पर वार्ड पंच/सरपंच/उपसरपंच/आस पडोसीयान/ गणमान्य व्यक्ति /सचिव महोदय उपस्थित हुए। मौके पर वार्ड पंच व आस-पास पडोसीयान से जानकारी ली गई। मौका स्थिति के अनुसार आस-पास पडोसीयान/ग्रामीण/वार्ड पंच द्वारा बताया गया कि, आवेदक का मकान पैतृक विरासत में प्राप्त एवं पैतृक हिस्सेवार में प्राप्त प्रार्थी का मकान विवाद रहित एवं उसके एकल स्वामित्व है। प्रार्थी का पुराना आवासीय पैतृक मकान ग्राम पंचायत.....के आबादी भूमि में स्थित है। जिसका आराजी खसरा नम्बर.....रकबा.....राजस्व ग्राम.....आबादी रिकार्ड दर्ज है। मौका स्थिति के अनुसार निम्न नजरी नक्शा तैयार किया गया।



रिपोर्टिंग- प्रार्थी का मकान लगभग.....वर्ष पूर्व निर्मित है। उक्त मकान प्रार्थी का पैतृक मकान है तथा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने की अनुशंसा की जाती है।





## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र)  
क्रमांक :- दिनांक :-

जरिये हाजा इष्टियार के आप समस्त ग्राम..... व मौहल्ला.....  
.....के निवासीयों एवं श्री/श्रीमती.....पिता/पति श्री.  
.....जाति.....के भाई-भाईयों व पडौसीयों को सूचित किया जाता है कि  
श्री/श्रीमती.....ने मौहल्ला.....वार्ड संख्या  
.....में स्थित स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त हो, एकल रूप से स्वामित्व का दावा करते  
हुए इस कार्यालय से पट्टा चाहने दिनांक.....को इस्तागासा प्रेषित किया है। अतः इस संबंध  
में जिस किसी को, किसी भी प्रकार से आपत्ति हो तो इस कार्यालय को कार्यालय समय में लिखित  
में मय कारण के आपत्ति पत्र मय साक्ष्य के साथ 07 दिन के भीतर प्रेषित करें, बाद मियाद गुजरने  
पर प्रेषित आपत्ति अमान्य रहेगी।

सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार से है :-

पूर्व दिशा	
पश्चिम दिशा	
उत्तर दिशा	
दक्षिण दिशा	



अतः आज दिनांक.....को कोरम बैठक दिनांक.....के संकल्प संख्या.....के क्रम में  
मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से दो प्रतियों में आपत्ति इष्टियार पत्र, एक प्रति मौके पर चस्पा हेतु  
एवं एक प्रति पत्रावली शामिल करने हेतु जारी किया जाता है।

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :-

1. कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....  
आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
एवं एकल स्वामित्व में है।
2. कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।
3. कि इस पुश्तैनी मकान की .....दिशा की सीमा मेरी सम्पति/मकान से लगवां है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री/श्रीमती.....को दिया जाता है,  
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
यह बयान करता हूँ कि :-

4. कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....  
आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
एवं एकल स्वामित्व में है।
5. कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।
6. कि इस पुश्तैनी मकान की .....दिशा की सीमा मेरी सम्पति/मकान से लगवां है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री/श्रीमती.....को दिया जाता है,  
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के दे रहा हूँ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
 वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
 ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
 यह बयान करता हूँ कि :-

1. कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....  
 आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
 ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
 एवं एकल स्वामित्व में है।
2. कि आवेदक पट्टा प्रार्थी से मेरा संबंध.....का है।
3. कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री/श्रीमती.....को  
 दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के  
 दे रहा हूँ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर बयानकर्ता

## अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म

मैं श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....आयु.....  
 वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
 ग्राम.....तहसील.....जिला.....राज0 का रहने वाला हूँ तथा  
 यह बयान करता हूँ कि :-

1. कि श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....  
 आयु.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....  
 ग्राम.....का स्थानीय मकान, पैतृक विरासत में प्राप्त है, विवाद रहित एवं उसके स्वत्व  
 एवं एकल स्वामित्व में है।
2. कि आवेदक पट्टा प्रार्थी से मेरा संबंध.....का है।
3. कि इस पुश्तैनी मकान से गांव का कोई आम रास्ता व सुखाचार प्रभावित नहीं होता है।

अतः उक्त पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी श्री/श्रीमती.....को  
 दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बयान में अपने होश हवास में बिना नशे पते के  
 दे रहा हूँ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर बयानकर्ता



## ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
पत्रावली संख्या.....सन्/सम्बत्.....सोगाह इन्तजामी/.....

.....  
.....  
.....

फैसला (निर्णय) प्रस्ताव संख्या.....दिनांक..... आज यह मामला वास्तें निर्णय ग्राम पंचायत हाजा के इजलास में रूबरू सरपंच/सदस्यों के समक्ष पंचायत कोरम में पेश हुआ।

मामलें का संक्षिप्त विवरण तथा साक्षियों का कथन निम्न प्रकार है :-

1. प्रार्थी के द्वारा रा0पं0रा0नियम 1996 के नियम संख्या 157 (1) के तहत पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य हेतु आवश्यक दस्तावेज के नियम 145 के अनुसार पेश किया गया, जो शामिल मिसल है।
2. रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 146 के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक.....को ली गई, जो शामिल मिसल हैं।

3. रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 148 के तहत पंचायत द्वारा दिनांक.....को 07 योम का आक्षेप मांगने हेतु आपत्ति नोटिस (उजरदारी पत्र) पर जारी किया गया, जो मिसल संलग्न है। उपरोक्तानुसार मिसल का अवलोकन करने पर रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 157(1) पुराने गृहों के विनियमितिकरण के तहत सम्पूर्ण कार्यवाहीयों का होना पाया गया। जिस पर पंचायत कोरम दिनांक .. के प्रस्ताव संख्या.....के अनुसार प्रार्थी श्री/श्रीमती.....पिता/पत्निश्री.....जाति.....उम्र.....वर्ष लगभग निवासी मौहल्ला.....वार्ड संख्या.....ग्राम.....तहसील.....जिला.....को पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार से है :-

दिशा	विवरण	लम्बाई फीट में
पूर्व दिशा		
पश्चिम दिशा		
उत्तर दिशा		
दक्षिण दिशा		

इस प्रकार निर्मित पैतृक मकान का क्षेत्रफल.....वर्ग गज है। साथ ही प्रार्थी को हिदायत दी गई कि अपने नाले-परनालें, छज्जे, खिडकियां, रोस अपने पट्टों की भूमि में रखेगा। पट्टा प्रार्थी को पंचायत कोष में.....रूपये पट्टा शुल्क मय विकास शुल्क जमा कर रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जमा कर पट्टा दिया जाना तय हुआ।

फैसला बाइजलास पढकर सुनाया गया, सुनकर हस्ताक्षर किये गये।



## आज्ञाओं की सूची

### ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....जिला.....राजस्थान  
पट्टा मिसल संख्या..... वर्ष.....

क्र. सं.	दिनांक	कार्यवाही का विवरण	आगामी सुनवाई दिनांक	हस्ताक्षर
		<p>आज दिनांक .....को प्रार्थी श्री /श्रीमति ..... पिता/पति..... जाति.....निवासी..... हल्का आबादी क्षेत्र .....तहसील ..... जिला ..... में अपने पैतृक मकान पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है आवेदन पत्र के साथ मे रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 145 के अनुसार पट्टा आवेदन शुल्क 20/-रुपये स्थल निरीक्षण शुल्क 25/-रुपये एवं नक्शा शुल्क 25/-रुपये कुल सत्तर रुपये मात्र पंचायत कोष में जमा कराये गये। रसीद नं..... दिनांक ..... .....राशि 70/- द्वारा जमा किये गये।</p> <p>पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई, पंचायत कोरम के प्रस्ताव अनुसार पत्रावली दर्ज रजिस्टर(प्ररूप 21)कर सम्पत्ति सम्बन्धित सूचना बाद इस्तगासी से स्वघोषणा शपथ पत्र प्रेषित करने सूचित किया जावे। निर्णय लिया साथ ही रा0पं0रा0नियम, 1996 के नियम 146 के अनुसार मौके पर जा कर मौका पर्चा रिपोर्ट मुर्तीव करने का निर्णय लिया। स्थल निरीक्षण ( मौका रिपोर्ट ) हेतु 3 वार्ड पंचों की कमेटी गठित की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्री/श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम.....</li> <li>2. श्री/श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम.....</li> <li>3. श्री/श्रीमती.....वार्ड पंच वार्ड सं0.....ग्राम..... जो पंचायत कोरम मे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</li> </ol>		

पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई । पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया है कि प्रार्थी इस्तगासी श्री /श्रीमति .....पिता/पति .....जाति.....निवासी.....  
 .....हल्का पटवार .....तहसील .....  
 जिला ..... का मकान उसके पिता/पति श्री.....  
 ...पिता श्री .....जाति.....द्वारा अर्जित/  
 उनके पैतृक विरासत का मकान होना स्पष्ट होता है। इस्तगासी श्री /श्रीमति .....पिता/पति .....जाति.....  
 निवासी..... हल्का पटवार .....तहसील ....  
 .....जिला ..... को उनके पैतृक हिस्सेवार विरासत में प्राप्त हैं।  
 एवं उसके भाई भाग्यों एवं पड़ोसियों को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं हो पूर्ण रूप से सहमति हैं तथा उक्त मकान पर परिवार का कब्जा ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों से कम/अधिक पुराना है।  
 सदन द्वारा विचार विमर्श कर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (पंचायतीराज) द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक:एफ 4( ) पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 जयपुर दिनांक 05.04.2017 की पालना एवं पं0रा0नि0, 1996 के नियम 147 के तहत भूमि विक्रय का अस्थाई निर्णय लेते हुए पं0रा0नि0, 1996 के नियम 148 के अन्तर्गत सात (07) योम का आपत्ति नोटिस (उजरदारी पत्र) जारी करने का निर्णय लिया गया। पत्रावली बाद मियाद अवधि बीत जाने पर सदन में प्रस्तुत हो।

आज दिनांक..... को पत्रावली कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई । पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया है कि कार्यालय हाजा से दो प्रति में आपत्ति इशतियार जारी कर एक प्रति मौके पर पंचायत मुहर से चस्पा करा दुसरी प्रति पर चस्पा किया की शादन में दो पड़ोसीयान गवाहनों के हस्ताक्षर कराये गये। पत्रावली बाद इशतियार की अवधि समाप्ती के कोरम बैठक में प्रस्तुत करके दिनांक .....को कार्यालय हाजा से जारी एवं दिनांक ..... को मौके पर चस्पा आपत्ति इशतियार की समयावधि 07 सात योम समाप्ति के बाद किसी पड़ोसी या इस्तगासी के भाई भाग्ये का अथवा अन्य किसी की आपत्ति प्रत्र प्राप्त नहीं होने से एवं किसी भी व्यक्ति के सुखाचार को प्रभावित नहीं करने तथा परिक्षेत्र की सुन्दरता एवं सफाई को प्रभावित नहीं करने के कारण कोरम में उपस्थित सभी

पंचो ने इस्तगासी श्री / श्रीमति .....पिता / पति .....  
 .....जाति.....निवासी.....ग्राम .....  
 .तहसील ..... जिला ..... का मकान विवाद रहित है तथा  
 उक्त मकान पर परिवार का कब्जा ( 30 दिसम्बर 1996 से ) 50 वर्षों  
 से कम/अधिक पुराना है। उक्त मकान के स्वत्व एवं स्वामित्व का  
 पैतृक विरासत में प्राप्त मकान का अबोध रूप से स्थायी मानते हुए  
 पुराने गृहों का विनियमितिकरण अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज  
 नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क राशि  
 पंचायत कोष में नगद जमा ले पैतृक मकान का पट्टा जारी करने  
 सर्व सहमति से निर्णय लिया गया प्रार्थी द्वारा उक्त मकान के  
 सम्बन्ध में किसी प्रकार का न्यायिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है  
 और विवाद होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

पंचायत कोरम बैठक दिनांक .....के संकल्प संख्या.....के द्वारा  
 पूर्व कोरम बैठक दिनांक.....संकल्प संख्या.....की पुष्टि के  
 पश्चात् कोरम व अध्यक्ष की आज्ञा से रसीद् बुक संख्या.....रसीद्  
 संख्या.....दिनांक.....से पट्टा शुल्क राशि.....कुल.....  
 .....मात्र नगद पंचायत कोष में  
 जमा लेकर आज दिनांक.....को पट्टा संख्या .....  
 बुक संख्या.....जारी कर पत्रावली फैसले में शुमार हो फाईल की  
 गई।

# कार्यालय :- ग्राम पंचायत .....

पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ राज0

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नि श्री.....जाति.....

निवासी वार्ड नं0.....ग्राम पंचायत ..... तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज0।

विषय :- आबादी भूमि मे भुखण्ड का नियमितिकरण कर पट्टा जारी करने की राशि जमा करवाने बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा आबादी भूमि में भुखण्ड का नियमितिकरण पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत आवेदन के अनुसरण मे ग्राम पंचायत बैठक दिनांक ..... मे आपके भुखण्ड का रूपरे..... (शब्दों में :- ..... )नियमानुसार नियमितिकरण किया जाना मंजूर किया है।

अतः इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप भुखण्ड नियमितिकरण हेतु उपरोक्त राशि दिनांक ..... तक पंचायत कोष में जमा करवा दें। अन्यथा आपको भुखण्ड का नियमितिकरण का फैसला निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

ह0 सरपंच



## पट्टा पत्रावली में किये जाने वाले हस्ताक्षरों का विवरण

### आवेदक के हस्ताक्षर—

1. सरवर्क मिसल सूची कागजात पृष्ठ संख्या 1 पर सारणी के नीचे एक जगह पर
2. आज्ञाओं की सूची प्रत्येक पृष्ठ पर दो जगह पर
3. प्रार्थना पत्र पर एक जगह
4. चेक लिस्ट पर एक जगह
5. सभी फोटोस्टेट संलग्नक पर स्वहस्ताक्षरित
6. शपथपत्र के दोनों पृष्ठों पर तीन जगह
7. मकान के फोटो ग्राफ पर
8. निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र पर तीनों पृष्ठ पर प्रत्येक के नीचे
9. फैसला फार्म पर नीचे एक जगह पर

पड़ोसियों के हस्ताक्षर— बयान फार्म पर दोनो पर चारों पड़ोसियों के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर— शपथ—पत्र पर दो जगह एवं उनकी आई0डी0 पर भी

वार्ड पंच के हस्ताक्षर— निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र पर तीनों जगह एवं फैसला फार्म पर सभी वार्ड पंचों के हस्ताक्षर

पंचायत चपरासी हस्ताक्षर — आपत्ति नोटिस के पीछे— श्रीमान्जी के आदेशानुसार नोटिस तामिल कराया लिखकर हस्ताक्षर कराने एवं दो व्यक्तियों के गवाही के हस्ताक्षर मय नाम/पिता व पति का नाम व जाति लिखकर कराने

सरपंचजी के हस्ताक्षर—

1. सूची कागजात सरवर्क मिसल में सारणी के नीचे हस्ताक्षर कराने
2. प्रार्थना पत्र पर
3. आज्ञाओं की सूची पर प्रत्येक पृष्ठ पर 6 जगह
4. निरीक्षण रिपोर्ट पंच गण प्रपत्र पर तीनों जगह
5. आपत्ति नोटिस के आगे एवं पीछे
6. फैसला फार्म पर